न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2012 (बांसवाड़ा डिकी)

1. श्रीमती नर्बदा बेवा नाथुरामजी रख, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम ठीकरीया हाल बोडीगामा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. अरविन्द पिता नाथुराम जी रख, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम ठीकरीया हाल बोडीगामा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भरत कुमार पिता नाथुराम जी रख, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम ठीकरीया हाल बोडीगामा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती निर्मला पत्नी विरेन्द्र जी भट्ट, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम ठीकरीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती धुली पत्नी गणपतलाल जी, निवासी बासला, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. केशवलाल पिता रामशंकर जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम ठीकरीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. उंकारलाल पिता भवानीशंकर जी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम ठीकरीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा
दिनांक 29–09–2012, प्र.सं. 3/11

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

–––::–––

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 07–02–2018</u>**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता नाथूराम जी के पिता लक्ष्मीराम जी एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के संयुक्त स्वामित्व की भूमि आराजी नंबर 441 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा ग्राम ठीकरीया में स्थित है। उक्त खसरा नंबर का अभी विभानज नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 का अपने पिता नाथूराम जी का उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है तथा प्रत्येक ईच भूमि पर समान आधिपत्य व खातेदारी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने बिना प्रार्थीगण की जानकारी के ग्राम पंचायत व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने आपको एक मात्र वारिस बताकर नामान्तरकरण संख्या 846 दिनांक 09–05–1990 अपने नाम खुलवा लिया है, जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 का विवाह ग्राम बांसला तहसील बागीदौरा में कर दिया गया है तथा वह वही निवास कर रही है। अप्रार्थी संख्या 2 ने बिना प्रार्थीगण की जानकारी के राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004 में अपने नाम नामान्तरकरण संख्या 1514 दिनांक 25–12–2004 खुलवा लिया है, जबकि प्रार्थीगण का भी उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि का विभाजन कर नया नंबर 1644/441 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा पड़ा, जिसे अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वयं को मालिक व खातेदार बताते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को पंजीकृत विक्रय दिनांक 05–01–2011 को कर दिया है, जो अनाधिकृत व गैर कानूनी होकर नल एण्ड वोईड है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2025 दिनांक 10–01–2011 अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जो गैर कूननी होकर खारिज योग्य है। निवेदन किया कि आराजी नंबर 441 के नये सर्वे नंबर 1644/441 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रवेश नहीं करने, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, न ही वे सहखातेदार हैं। प्रार्थीगण अजनवी हैं। उक्त भूमि की खातेदार नाथूराम की पत्नी प्रार्थी संख्या 1 नहीं है, बल्कि नाथूराम की

पत्नी श्रीमती माणक बाई थी, जिसकी एक मात्र संतान अप्रार्थी संख्या 2 धुली है तथा उनके द्वारा उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के पक्ष में विधिवत विक्रय पत्र निष्पादित किये गये हैं। प्रार्थीगण आराजी नंबर 1644/441 के सहखातेदार कभी नहीं रहे न ही उनका कोई हक अधिकार है, न ही उनका कभी कब्जा रहा। अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सही हैं। अतएवं आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार दिनांक 29—09—2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19—10—2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित ने अपनी उपस्थिति दी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का संयुक्त आधिपत्य होते हुए भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने विवादित भूमि स्वयं की बताकर अन्य रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में अनाधिकृत किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करने में त्रुटि की है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड तथा उभयपक्ष की बहस व अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया तो यह पाया

कि अधिनस्थ न्यायालय आराजी नंबर 441 के 1/3 हिस्से के नाथूराम रेकार्डेड खातेदार हैं तथा उनकी मृत्यु पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के नाम विरासत से उक्त भूमि दर्ज हुई है। बकौल अपीलान्ट यह नामान्तरकरण 1990 में खोला जा चुका है, जिसके लिए अस्थाई का आवेदन उनके द्वारा वर्ष्ज्ञ 2011 में अर्थात करीब 21 वर्षो बाद प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 नाथूराम की विरासत से भूमि की खातेदार दर्ज हुई है तथा उसके द्वारा किये किये गये विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का नाम भी रेकार्ड में प्रविष्ट हो चुका है। विरासत का नामान्तरकरण संख्या 846 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक शुदा है तथा नामान्तरकरण संख्या 1514 जो वर्ष 2004 में तस्दीक शुदा है, उसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 धूली 1/3 हिस्से की सहखातेदार होने से विभाजन से आराजी नंबर 1644/441 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि उसे प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट है कि यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व भूमि का विभाजन हो चुका था।

प्रथम दृष्टया प्रकरण का निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थी/अपीलान्ट नाथूराम की पत्नी/पुत्र है अथवा नहीं, पेश शुदा मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार वर्ष 1989 में नाथूराम की मृत्यु हुई है तथा वर्ष 1990 से विरासत से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 धूली उसकी वारिस होकर उसके नाम विरासत का नामान्तरकरण खुला है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि 21 वर्षो तक नाथूराम की विरासत से पुत्री धुली के स्थान पर अपीलान्ट/प्रार्थी पत्नी अथवा पुत्र हों, इस बाबत् उनके द्वारा अपील स्तर पर तथा अधिनस्थ न्यायालय में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अपीलान्टगण को मृतक नाथूराम की पत्नी/पुत्र माना जा सके। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा जब खातेदार नाथूराम की पत्नी/पुत्र होने की कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गयी है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं मानने का जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी अपीलान्ट/ प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं माने जा सकते। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने

अपीलान्ट/प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का जो आवेदन खारिज किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–09–2012 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

स्वर्गीय नागजी के बजाय देवजी जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य	<u>बनाम</u>	**कानजी आत्मज बदिया, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं...........**14/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**बांसवाड़ा**......... मुकाम................मुवर्खे..........**29**..................माह...............**01**.........**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**24**....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री भगवतपुरी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ...... **श्री यशपाल गुप्ता**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29—01—2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**24**......माह.......**01**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.......... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।